न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत

दिनांक 01.10.2020 से प्रभावशील
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
महँगाई भत्ते की दरें

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2020 / 4501, रायपुर, दिनांक – 29.09.2020

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16–ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **एलेक्स पॉल मेनन**, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा कृषि नियोजन के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जनवरी 2020 से जून 2020 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :–

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986–87 = 100)	माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986–87 = 100)
जुलाई 2019	958	जनवरी 2020	1016
अगस्त 2019	965	फरवरी 2020	1010
सितम्बर 2019	976	मार्च 2020	1007
अक्टूबर 2019	987	अप्रैल 2020	1014
नवम्बर 2019	1000	मई 2020	1019
दिसम्बर 2019	1014	जून 2020	1018
कुल	$\frac{5900}{6}$ = 983.33 (983)	कुल	$\frac{6084}{6}$ = 1014

इनका औसत 1014 घोषित करता हूँ, जो कि **अनुसूची– ''क''** कृषि नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10–4 / 2016 / 16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।

(एलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

कृषि नियोजन (भाग–दो) में नियोजित श्रमिकों के लिये दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा कृषि नियोजन भाग–दो में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1986–87=100) 852 (जनवरी–जून 2016) को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2020/**4501** दिनांक **29.09.2020** के अनुसार जनवरी 2020 से जून 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1014 रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गत छःमाही के अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 983 (1986–87=100 जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019 के आधार ऑकड़े) के ऊपर 31 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई औसत वृद्धि 31 बिन्दु पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 5 रूपये के मान से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय होगा। परिणामस्वरूप 5 रूपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रूपये 155 या प्रतिदिन रूपये 5.17 (30 दिन के मान से) परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक देय है। **(अनुसूची–''क'')**

(एलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

<u>अनुसूची–''क''</u>

कृषि में नियोजन (भाग– ''दो'')

(दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक)

आकड़े रूपये में

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)
दिनाँक 01.04.2020 से 30.09.2020							दिनाँक 01.10.2020 से 31.03.2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900.00	230.00	655.00	21.83	7555.00	251.83 (252)	अकुशल कृषि श्रमिक	6900.00	230.00	810.00	27.00	7710.00	257.00

(एलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. मासिक मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दर से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।

3. इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरूषों के लिए एक समान नियत है।

4. कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए लिये निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

(एलेक्स पॉल मेनन)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर